LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
OLD SECRETARIAT, DELHI-54
(QUESTIONS & COMMITTEE BRANCH)

F.No.12 (A-5)/2020-25/Q B./LAS/2022/ 11988-92 **Dated:** 05/08/22

To

Sh. Pawan Kumar Sharma,
Hon'ble MLA,
Delhi Vidhan Sabha,
Old Secretariat, Delhi-54.

Sub: Forwarding of reply to Vidhan Sabha Starred Question No.29 dated 28.03.2022 -- regarding.

Sir,

Kindly refer to the subject cited above. In this connection, I am directed to forward herewith reply to Vidhan Sabha Starred Question No.29 dated 28.03.2022 as received from the Environment Department, Govt. of NCT of Delhi vide letter No.F.10 (12)/Environment/3287-3290 dated 29.07.2022, for your kind information.

This issues with the prior approval of the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly.

Yours faithfully

Encl:As above

(Neeraj Aggarwal)
Dy. Secretary (Questions & Committee)

F.No.12(A-5)/2020-25/Q B./LAS/2022/ **Dated:**

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Secretary to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly, Delhi-110054.
2. PS to the Secretary, LAS, Delhi Legislative Assembly.
3. The Deputy Secretary (Reporting), with the request to replace the same in the record of debates of the proceedings of the house held on 28.03.2022.
4. The System Analyst, Delhi Legislative Assembly with the request to upload the reply in the official website of Delhi Legislative Assembly by replacing the previous reply to the question under reference.
5. The Special Secretary (Environment), Environment Department, GNCTD, C-Wing, 6th Floor, Delhi Sachivalaya, IP Estate, New Delhi-110002.

(Neeraj Aggarwal)
Dy. Secretary (Questions & Committee)

Scanned by TapScanner

265/C

पर्यावरण विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

'सी' विंग, छटा तल, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110 002, दूरभाष : 011–23392306

फा. सं०: एफ.10 (12)/पर्या./2022/3287–3290 दिनांक : 29/07/2022

सेवा में,

श्रीमान उप–सचिव (प्रश्न एवं समिति)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054

विषय:विधानसभा तारांकित प्रश्न संख्या 29 दिनाँक 28.03.2022 माननीय विधायक श्री पवन शर्मा द्वारा पूछा गया।

महोदय,

उपरोक्त उद्धृत विषयानुसार संदर्भ पत्रांक 12 (ए–5)/2020–25/क्यू एवं सी शाखा/एल.ए. एस./2022/10583 दिनाँक 14.07.2022, इस कार्यालय से संबंधित एवं उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अग्रीम कार्यवाही हेतु संलग्न है।

यह विषय माननीय मंत्री (पर्यावरण)/सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमोदित/स्वीकृत है।

भवदीय,

(डॉ. के. एस. जयचन्द्रन)
विशेष सचिव (पर्या.)

संलग्नः– उत्तर की प्रतियां (संख्या 10)

फा. सं०: एफ.10 (12)/पर्या./2022/3287–3290 दिनांक : 29/07/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. सचिव, माननीय मंत्री (पर्यावरण विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली
2. निजि सचिव, प्रमुख सचिव पर्यावरण एवं वन्य विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054 **(संलग्न 10 प्रश्न–उत्तर की प्रतियां)।**

(डॉ. के. एस. जयचन्द्रन)
विशेष सचिव (पर्या.)

SO(Q&C)

Scanned by TapScanner

264/c

पर्यावरण विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
'सी' विंग, छटा तल, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110 002, दूरभाष : 011–23392306

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री पवन शर्मा
प्रश्न संख्या : 29
प्रश्न : तारांकित
दिनांक : 28.03.2022

क्या माननीय पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करें कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि धीरपुर परियोजना के अर्न्तगत दिविप्रा तथा अरबन ईकोलॉजी एंड सस्टेनेबिलटी के द्वारा 25.38 हेक्टेयर भूमि पर एक 'वाटॅर लैंड पार्क' का निमार्ण किया जाना था;	हां, वाटर लैंड पार्क को सेंटर फॉर अर्बन इकोलॉजी एंड सस्टेनबैबिलिटी (सीयूईएस) और अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली (एयूडी), इसी में एक छोटा सा हिस्सा जिस पर मुकद्मा चल रहा है, छोड़ा गया है अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली (एयूडी) के अनुरोध के अनुसार, जोन–सी में धीरपुर फेज–1 में 20 हेक्टेयर भूमि के भूमि उपयोग के परिवर्तन को 'आवासीय उपयोग' से सार्वजनिक और 'अर्ध सार्वजनिक' (विश्वविद्यालय परिसर पीएस–1) के लिए अधिसूचित किया गया था। साथ ही, धीरपुर फेज–1 में 25.38 हेक्टेयर भूमि के भूमि उपयोग के परिवर्तन को भी 'आवासीय उपयोग' से मनोरंजक 'जिला पार्क' (जलय संचयन का क्षेत्र) में अधिसूचित किया गया था।
(ख)	क्या यह भी सत्य है कि इस भूमि का स्वामित्व दिविप्रा के पास है इस कार्य के लिए धनराषि दिविप्रा द्वारा डीसिल्टिंग में विलंब किए जाने के कारण इस परियोजना में देरी हुई है;	अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली (एयूडी) के अनुरोध के अनुसार, जोन–सी में धीरपुर फेज–1 में 20 हेक्टेयर भूमि के भूमि उपयोग के परिवर्तन को 'आवासीय उपयोग' से सार्वजनिक और 'अर्ध सार्वजनिक' (विश्वविद्यालय परिसर पीएस–1) के लिए अधिसूचित किया गया था। साथ ही, धीरपुर फेज–1 में 25.38 हेक्टेयर भूमि के भूमि उपयोग के परिवर्तन को भी 'आवासीय उपयोग' से मनोरंजक 'जिला पार्क' (जलय संचयन का क्षेत्र) में अधिसूचित किया गया था। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.03.2012 के कार्यवृत के अनुसार मद संख्या 20/12; क्षेत्र के उचित संरक्षण के लिए डीडीए के लैंडस्केप विभाग और अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली (एयूडी) के बीच एक प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने थे।

Govt. of N.C.T. of Delhi

Scanned by TapScanner

		यह भूमि अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली को पहले ही सौंप दी गई है और भूमि का पारिस्थितिक विकास और रख–रखाव को नियमित रूप से अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा किया जाता है।
(ग)	क्या यह भी सत्य है कि दिविप्रा द्वारा डीसिल्टिंग में विलंब किए जाने के कारण इस परियोजना में देरी हुई है;	
(घ)	क्या यह भी सत्य है कि इस भूमि पर वर्तमान में पानी है ही नहीं, अतः डीसिल्टिंग किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है;	
(ड)	क्या यह भी सत्य है कि दिविप्रा द्वारा निर्णय न ले पाने के कारण पर्यावरण संरक्षण संबंधी यह महत्वपूर्ण परियोजना लंबित है;	एयूडी ने गाद निकालने का अनुरोध किया था जिसे डीडीए ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उस समय यह संभव नहीं हो पाया था।
(च)	दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा इस परियोजना को पूरा किए जाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और	
(छ)	इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?	यह दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से संबंधित नही है

जयचन्द्रन

(डॉ. के. एस. जयचन्द्रन)
विषेश सचिव (पर्या.)

Govt. of N.C.T.
Delhi S...
New Delhi

Scanned by TapScanner